संख्या 381 / उन्तीस(2) / 09–2(126पे0) / 2007

प्रेषक,

एम0एच0खान
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 25 मार्च, 2009

विषय— राज्य सैक्टर की नगरीय पेयजल / जलोत्सारण योजनाओं हेतु अनुदानान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 448 / नौ–2)–04(60पे0) / 2003 दिनांक 28.02.04, शासनादेश संख्या 1508 / उन्तीस(2) / 06–2(60पे0) / 2003 दिनांक 23.03.06, शासनादेश संख्या 1194 / उन्तीस(2) / 06–2(60पे0) / 2003, दिनांक 30.08.06, शासनादेश संख्या 388 / उन्तीस(2) / 07–2(60पे0) / 2003, दिनांक 23.03.07 एवं शासनादेश संख्या 382 / उन्तीस(2) / 08–2(126पे0) / 2007, दिनांक 01.09.08 द्वारा हल्द्वानी जलोत्सारण योजना, पिथौरागढ जलोत्सारण योजना एवं पौडी पुनर्गठन पेयजल योजना (नानघाट) हेतु क्रमशः रू0 1567.155 लाख, रू0 667.00 लाख एवं रू0 2200.00 लाख अर्थात कुल रू0 4434.155 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। तद्‌विषयक आपके पत्र संख्या 956 / धनावंटन प्रस्ताव / दिनांक 19.03.09 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इन योजनाओं के निर्माण कार्यो हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में राज्य सैक्टर की नगरीय पेयजल / जलोत्सारण योजनाओं हेतु अनुदानान्तर्गत निम्न विवरणानुसार संलग्न बीएम–15 में उल्लिखित विवरणानुसार पुर्नविनियोग के माध्यम से कुल रू0 2000.00 लाख (रू0 बीस करोड मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

क्र0 सं0	योजना का नाम	स्वीकृत लागत	पुर्व में अवमुक्त धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	हल्द्वानी जलोत्सारण योजना	2448.20	1567.155	500.00
2	पिथौरागढ़ जलोत्सारण योजना	3690.13	667.00	500.00
3	पौडी पुनर्गठन पे0यो0 (नानघाट)	4357.00	2200.00	1000.00
	योग		4435.155	2000.00

2— धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के आधार पर शासन के अनुमोदन से किश्तों में ही किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि की वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण उच्च स्तरीय समीक्षा / अनुश्रवण पर किया जायेगा।

3 धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार में प्रस्तुत करके आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या व दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध कराई जायेगी।

क्रमशः 2

4 स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा जिनके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी भी दशा में अन्य योजनाओं पर व्यय नहीं किया जायेगा।

5– कराये जाने वाले कार्यों पर वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या 163/XXVII(7)/2007, दिनांक 22.05.08 के अनुसार सेन्टेज प्रभार अनुमन्य होगा।

6 व्यय करने से पूर्व जिन मामलो में बजट मैनुअल/ फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षेम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी। निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों पर प्रशासकीय/ वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टेकिनकल स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7 कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जायेगी एंव कार्यदायी संस्था के रूप में प्रबन्ध निदेशक इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

8 व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्त नियमावली एवं अन्य तदविषयक नियमों का अनुपालन किया जाय।

9 उपरोक्त के अतिरिक्त इन योजनाओं पर धनावंटन सम्बंधी निर्गत पूर्व शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

10– चूंकि परियोजना के निर्माण में विलम्ब हो चुका है एंव योजना की लागत अत्यधिक है। अतः पुनरीक्षित आगणन शीघ्र प्रस्तुत कर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन नियमानुसार करा लिया जाय।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग 31.03.2009 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

12– उक्त स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में अनुदान संख्या 13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति– आयोजनागत–101– शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम–05–नगरीय पेयजल– 01–नगरीय पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिए अनुदान–20–सहायक अनुदान/अशंदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

13– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 1442/XXVII (2)/2009 दिनांक 25 मार्च 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न–बी0एम0–15

भवदीय

(एम0एच0खान)
सचिव

क्रमश..3

सख्या -301(1)/ उन्तीस(2) / 09-2(126पे0) / 2007,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।

2- आयुक्त, गढ़वाल / कुमॉयू मण्डल।

3- जिलाधिकारी, देहरादून एंव सम्बन्धित जिले।

4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

5- मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।

6- निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।

7- स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।

8- वित्त अनुभाग-2 / राज्य योजना आयोग / वित्त बजट सैल।

9- निदेशक, सूचना एंव लोक सम्पर्क निदेशालय, ई0सी0 रोड, देहरादून।

10-निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

11-सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।।

14 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)

संयुक्त सचिव

25/3/07

आयोजनागत

बी0एम0–15 पुर्नविनियोग–2008–09

आयोजनागत

...धिकारी–प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
... विभाग– पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
... संख्या–13

(रू0 हजार में)

...अनुदान तथा लेखाशीर्षक	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के अवशेष अवधि अनुमानित व्यय	अवशेष(सरप्लस)	लेखाशीर्षक जिसमे धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशेष धनराशि।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2215–जलापूर्ति तथा सफाई				2215–जलपूर्ति तथा सफाई			(क) इस मद मे परिव्यय प्राविधानित न होने के कारण बचत (ख)मद मे समुचित धनराशि प्राविधानित न होने के कारण।
01–जलापूर्ति–आयोजनागत।				01–जलपूर्ति–आयोजनागत			
102–ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम				101–शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
03–ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर 00– 20–सहायक अनुदान/अंशदान राजसहायता				05– नगरीय पेयजल 01–नगरीय पेयजल योजना तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिए अनुदान			
				20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता			
547700	133850	166150	300000(क)	200000 (ख)	402300	347700	
योग– 547700	133850	166150	300000	200000	402300	347700	

प्रमाणित किया जाता है कि पुर्नविनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित सीमाओं का उल्लंघन नही होता है ।

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–2
संख्या: 1442(क) XXVII-(2) /2009
देहरादून : दिनांक 25मार्च 2009

पुर्नविनियोग स्वीकृत
ह0/
(एम0सी0जोशी)
अपर सचिव वित्त

...वा में
महालेखाकार,
उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

...संख्या 301 (क)/उन्तीस/09–2–(126पे0)/2007, तद दिनांक
...तिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1–कोषाधिकारी,, देहरादून । 2. वित्त अनुभाग–2
3–जिलाधिकारी, देहरादून।

आज्ञा से
(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव